आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ.7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2021/112-13 दिनांक 25 मार्च, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय व विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– प्रवेश नीति 2021–22 हेतु सुझाव आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश नीति का निर्धारण आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा किया जाना है। महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नियमों इत्यादि के सम्बन्ध में दूरभाष/लिखित में अनेक दिशा निर्देश आयुक्तालय से पूछे जाते है। अतः प्रवेश प्रक्रिया में गत वर्ष आई कठिनाईयों/समस्याओं को दूर करने तथा प्रवेश नीति के कतिपय बिन्दुओं को और अधिक सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से एवं प्रवेश नीति 2021–22 के प्रारूप को तैयार करने हेतु आपसे सुझाव आमंत्रित किये जाते है। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः प्रवेश नीति पर आधारित होती है। ऐसे प्रक्रियात्मक सुझाव जो कि ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित है उन्हें भी प्रवेश नीति में समाहित किया जा सकता है, इसलिए आप इस विषय में भी सुझाव अवश्य देवें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश नीति 2021–22 हेतु अपने सुझाव संयुक्त निदेशक अकादमिक की मेल आईडी **jdacad1960@gmail.com** पर दिनांक **06.04.2021** तक **MS Word** में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि इसकी हार्ड कॉपी आयुक्तालय को प्रेषित नहीं की जानी है।

भवदीय,

25/3/21

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि –

वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।

25/3/21

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)